

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	ब्रह्मदेव गुप्ता, भैसिना भुसावर-- भरतपुर	10.05.1958	31.05.2018
2	जगनसिंह जाट, लाखनी - सीकर	17.06.1958	30.06.2018
3	मालकिशन शर्मा, खटकड-बूंदी	28.06.1958	30.06.2018
4	कैलाश चन्द्र शर्मा, कालीभित्त-उदयपुर	01.07.1958	31.07.2018
5	रामस्वरूप पहाडिया, बिलोठी-सेवर-भरतपुर	01.07.1958	30.06.2018
6	गणेशदत्त दाधीच, ओकारपुरा-बूंदी	15.07.1958	31.07.2018
7	मोहनलाल वर्मा, लाम्बाहरि सिंह-टोंक	15.08.1958	31.08.2018
8	योगेश चन्द्र श्रीमाली, खमनोर-राजसमंद	23.08.1958	31.08.2018
9	हमचन्द्र शर्मा, बस्सी-नागौर	04.09.1958	30.09.2018
10	प्रतापराम कटारिया, खेजडला-जोधपुर	25.09.1958	30.09.2018
11	हीराराम लाल शर्मा, सहनाली छोटी- चूरू	22.11.1958	30.11.2018
12	पद्म गिरी गोस्वामी, सेमारी-उदयपुर	07.12.1958	31.12.2018
13	रामा भाट, बा0 सलूमबर- उदयपुर	20-06-158	30.06.2018
14	फूलचन्द ताखर, सेफरागुवार-झुझुनूं	01.08.1958	31.07.2018
15	महेशचन्द्र शर्मा, बनौरा-बसेडी-धौलपुर	05.01.1959	31.01.2019
16	जोगेन्द्र सिंह, 2पी.जी.एम. अनूपगढ--गंगानगर	01.07.1958	30.06.2018
17	अशोदा दशोरा- अवर उप जिशिअ., जिशिअ (प्राशि.) उदयपुर	12.07.1958	31.01.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जमाना विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 04.05.2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16

प्रतिया सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

- निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
- संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- संबंधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान-सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय- आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत श्री प्रेमचन्द हरिजन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि कठाना, टोंक ने दिनांक 03.04.2018 को नोटिश प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है। जिनकी जन्म तिथि 19.10.1960 है।

श्री प्रेमचन्द हरिजन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि कठाना, टोंक ने 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करती है। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृती की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री प्रेमचन्द हरिजन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि कठाना, टोंक के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.सेनि/31901/2011
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक 4/5/2018

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग -----
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कठाना, टोंक
6. श्री प्रेमचन्द हरिजन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि कठाना, टोंक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी संस्थापन सी अनुभाग
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय- आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत श्री अरविन्द कुमार व्यास, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि देवली, भीलवाडा ने दिनांक 10.04.2018 को नोटिश प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। जिनकी जन्म तिथि 11.10.1959 है।

श्री अरविन्द कुमार व्यास, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि देवली, भीलवाडा ने 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करती है। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृती की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री अरविन्द कुमार व्यास, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि देवली, भीलवाडा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.सेनि/31901/2011
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक 4/5/2018

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग -----
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली, भीलवाडा
6. श्री अरविन्द कुमार व्यास, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि देवली, भीलवाडा
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी संस्थापन सी अनुभाग
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर